

संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास छ.ग.रायपुर


चतुर्थ ब्लॉक, चतुर्थ तल, इन्द्रावती भवन नया रायपुर
फोन नं. 0771-2510090 फैक्स-2533054 E-mail :- suda.urbandevelopment@gmail.com

क्र. या.प्र/05/EODB/2015 / 4849

रायपुर दिनांक 13/06/2015

सूचना

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि भूमि विकास नियम-1984 की धारा-83 के अंतर्गत आवश्यक फायर एन.ओ.सी., भवन अनुज्ञा का ही भाग है। अतः छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अनुसार भवन अनुज्ञा हेतु निर्धारित समय-सीमा में ही इसे प्रदाय किया जावे।


13/06/15
संचालक

संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास
छत्तीसगढ़ रायपुर

क्र. या.प्र/05/EODB/2015 / 4850

रायपुर दिनांक 14/06/2015

प्रतिलिपि:-

1. सर्व आयुक्त नगर पालिका निगम की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
2. प्रोग्रामर डाटा सेंटर की ओर विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
3. संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय न.प्र.वि. रायपुर/बिलासपुर/अंबिकापुर/दुर्ग/जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।


14/06/15
संचालक

संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास
छत्तीसगढ़ रायपुर

संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास छ.ग.रायपुर

चतुर्थ ब्लाक, चतुर्थ तल, इंद्रावती भवन नया रायपुर

फोन नं. 0771-2510090 फैक्स-2533054 E-mail :- suda.urbandevelopment@gmail.com

क्र.या.प्र/EODB/2016/5318

रायपुर दिनांक 31/03/2016

// आदेश //

एतद् द्वारा आदेशित किया जाता है कि नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 एवं भूमि विकास नियम-1984 के प्रावधान अंतर्गत भवन अनुज्ञा/अग्नि शमन/भवन पूर्णता सह अधिभोग प्रमाण पत्र से संबंधित प्रकरणों में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन, निरीक्षण दिनांक से 48 घंटे की समयावधि में ऑनलाईन प्रस्तुत किया जावे।


31/03/16

संचालक

संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास

छत्तीसगढ़ रायपुर

रायपुर दिनांक 31/03/2016

क्र.या.प्र/EODB/2016/5319
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, छ0ग0 शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर छ0ग0 की ओर सादर सूचनार्थ ।
2. सर्व आयुक्त नगर पालिक निगम की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ ।
3. प्रोग्रामर डाटा सेंटर की ओर विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
4. संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय न.प्र.वि. रायपुर/बिलासपुर/अंबिकापुर/दुर्ग/जगदलपुर की ओर सूचनार्थ ।


31/03/16

संचालक

संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास छ.ग.रायपुर

चतुर्थ ब्लॉक, चतुर्थ तल, इंद्रावती भवन नया रायपुर

फोन नं. 0771-2510090 फैक्स-2533054 E-mail :- suda.urbandevelopment@gmail.com

क्र. या.प्र./05/EODB/2015/5780

रायपुर दिनांक 30 /06/2015

सूचना

एतद् द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि भूमि विकास नियम-1984 के नियम 83 (ख) अनुसार :-

1. 18 मीटर से कम उंचाई के भवनों की निर्माण अनुज्ञा हेतु अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।
2. उंचे भवन (18 मीटर से अधिक) की भवन अनुज्ञा हेतु आवेदन के सक्षम अग्नि प्राधिकारी से आनलाईन आंतरिक विभागीय परीक्षण उपरांत, जारी की जाने वाली भवन अनुज्ञा में अग्निशमन अनापत्ति भी सम्मिलित कर प्रदान की जावेगी।
3. अग्निशमन अनापत्ति की आवश्यकता वाले प्रकरणों में भवन अनुज्ञा पोर्टल में ही भवन अनुज्ञा हेतु निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप आवेदन प्रस्तुत किया जाना होगा। पृथक से अग्निशमन अनापत्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
4. यह सूचना, इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी की गई सूचना क्र.या.प्र./05/EODB/2015/4849 रायपुर दिनांक 19/06/2015 के साथ सहपठित की जावे।

संचालक 30/06/15

संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास
छत्तीसगढ़ रायपुर

क्र. या.प्र./05/EODB/2015/5781

रायपुर दिनांक 30/06/2015

प्रतिलिपि:-

1. सर्व आयुक्त नगर पालिका निगम की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
2. प्रोग्रामर डाटा सेंटर की ओर विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
3. संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय न.प्र.वि. रायपुर/बिलासपुर/अंबिकापुर/दुर्ग/जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।

संचालक 30/06/15

